

पत्रांक-3/नि०में०को०-02/2022

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

अरुण कुमार ठाकुर (भा०प्र०से०)

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप निदेशक (नियोजन)

सभी सहायक निदेशक (नियोजन)

सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी

विषय:-

निदेशालय नियोजन के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय दो दिवसीय/एक दिवसीय नियोजन मेला के समेकित कार्यक्रम के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निदेशालय नियोजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चरण में आयोजित की जाने वाली दो दिवसीय/एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला का समेकित कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी संबंधित पदाधिकारी, नियोजन मेला के निर्धारित तिथि से 10 (दस) दिन पूर्व से नियोजन मेला की विस्तृत तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधीन होने वाले नियोजन मेले के सफल आयोजन हेतु सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। मेले के सफल आयोजन हेतु की जा रही तैयारी से निदेशालय को ससमय अवगत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेशालय द्वारा मेला आयोजन के संबंध में दी गई दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/

(अरुण कुमार ठाकुर)

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/नि०में०को०-02/2022- 1102

पटना-01, दिनांक- 08/11/2022

प्रतिलिपि-

माननीय मंत्री, के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आईटी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले जिला स्तरीय दो दिवसीय/एक दिवसीय नियोजन मेला के प्रथम चरण का समेकित प्रस्वावित कार्यक्रम:-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्तर	अवधि	नियोजन मेला की तिथि
1	2	3	4	5
1.	बेतिया	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	15.11.2022
2.	मुजफ्फरपुर	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	16.11.2022 17.11.2022
3.	वैशाली	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	18.11.2022
4.	सिवान	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	19.11.2022
5.	गोपालगंज	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	21.11.2022
6.	भागलपुर	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	22.11.2022 23.11.2022
7.	भभुआ (कैमुर)	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	23.11.2022
8.	मुंगेर	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	24.11.2022 25.11.2022
9.	मोतिहारी	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	25.11.2022
10.	औरंगाबाद	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	26.11.2022
11.	सहरसा	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	28.11.2022 29.11.2022
12.	नालंदा	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	30.11.2022
13.	नवादा	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	01.12.2022
14.	डालमिया नगर (रोहतास)	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	02.12.2022
15.	बौका	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	03.12.2022
16.	अरवल	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	05.12.2022
17.	जहानाबाद	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	06.12.2022
18.	पूर्णियां	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	07.12.2022 08.12.2022
19.	जमुई	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	08.12.2022
20.	बक्सर	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	09.12.2022
21.	भोजपुर	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	10.12.2022
22.	कटिहार	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	10.12.2022
23.	अररिया	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	12.12.2022
24.	किशनगंज	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	13.12.2022
25.	छपरा	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	14.12.2022 15.12.2022
26.	लखीसराय	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	16.12.2022
27.	शेखपुरा	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	17.12.2022
28.	गया	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	19.12.2022 20.12.2022
29.	खगड़िया	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	20.12.2022
30.	बेगुसराय	जिला स्तरीय	एक दिवसीय	21.12.2022
31.	पटना	प्रमण्डल स्तरीय	दो दिवसीय	22.12.2022 23.12.2022

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित होने वाले नियोजन
—सह— व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला से संबंधित दिशा निदेश:-

1. नियोजन मेला में भाग लेने वाले सभी नियोजक अनिवार्य रूप से N.C.S. (NATIONAL CAREER SERVICE) पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधित होने चाहिए।
2. क्षेत्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नियोजकों की सूची (नियोजक पंजी) तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर नियोजन मेला में भाग लेने हेतु उन्हें आमंत्रित करेंगे।
3. विभिन्न सेक्टरों के अधिक से अधिक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय नियोजकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला में आमंत्रित करेंगे। साथ ही नियोजन मेला में स्थानीय नियोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अभ्यर्थी अपने स्थानीय परिवेश में ही रोजगार प्राप्त कर सकें।
4. नियोजकों द्वारा विहित प्रपत्र में रिक्ति अधिसूचना प्राप्त करने के पश्चात् सम्यक जांचोपरांत ही नियोजन मेले में पदाधिकारियों द्वारा स्टॉल का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
5. नियोजन मेला में वैसे विश्वसनीय नियोजकों का प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जाना चाहिए जो मेला स्थल पर ही अभ्यर्थियों का चयन कर OFFER LETTER प्रदान करना सुनिश्चित करें।
6. नियोजकों द्वारा प्राप्त सभी रिक्ति अधिसूचना को संबंधित जिला के नियोजन पदाधिकारी N.C.S. (NATIONAL CAREER SERVICE) पोर्टल www.ncs.gov.in पर कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. नियोजनालय के नियोजक पंजी पर उपलब्ध विश्वसनीय नियोजकों को स्टॉल आवंटित करने में वरीयता प्रदान की जाएगी।
8. नियोजन मेला में भाग लेने वाले नियोजकों एवं रिक्तियों की पूर्ण विवरणी का उल्लेख नियोजन मेला में लगे बैनर में करना सुनिश्चित करेंगे।
9. नियोजन मेला में महिलाओं के नियोजन हेतु स्थानीय स्तर पर RECEPTIONIST, टेली कॉलर, शिक्षिका, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि क्षेत्रों में नियोजन हेतु स्थानीय नियोजकों से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला में आमंत्रित किया जाय।
10. नियोजन मेला की समाप्ति के तीन दिनों के अंदर मेला के फलाफल विवरणी यथा भाग लेने वाले नियोजकों का नाम एवं पूरा पता, ई-मेल आई०डी०, दूरभाष संख्या, चयनित उम्मीदवारों की पदवार संख्या विहित प्रपत्र में निदेशालय नियोजन को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. नियोजकों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी सूचना का सतत अनुश्रवण करते हुए कार्यरत अभ्यर्थियों की अद्यतन स्थिति से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में निदेशालय नियोजन को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
12. यदि कोई अभ्यर्थी अथवा नियोजक N.C.S. (NATIONAL CAREER SERVICE) पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधित नहीं है तो मेला स्थल पर ही उनका निबंधन N.C.S. (NATIONAL CAREER SERVICE) पोर्टल www.ncs.gov.in पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. नियोजन मेला में किसी भी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर होने पर तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृत कार्रवाई से निदेशालय नियोजन को भी अवगत कराएँगे।

14. नियोजन मेला के आयोजन की तिथि से कम-से-कम 10 दिन पूर्व से ही माईकिंग, पैम्पलेट, बैनर, विज्ञापन, आदि के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे. ताकि अधिक से अधिक संख्या में तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यताधारी आवेदन नियोजन मेला में भाग ले सके।
15. नियोजन मेला के आयोजन की तिथि से कम-से-कम 10 दिन पूर्व ही नियोजन मेला का उपर्युक्त आयोजन स्थल का निर्धारण कर निदेशालय नियोजन को अवगत कराएँगे.
16. स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, मेयर आदि से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें विभाग द्वारा आयोजित नियोजन मेला में उद्घाटनकर्ता / मुख्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे
17. अन्य विभागों के द्वारा चलाये जा रहे स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी मुहैया कराने हेतु PMKVY, DDUGKY, मुद्रा बैंक योजना, R.SETI, D.I.C., लीड बैंक आदि के प्रतिनिधि को नियोजन मेला में आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे |
18. नियोजन मेला स्थल पर विधि-व्यवस्था संधारण, पेयजल टैंकर की व्यवस्था, चलन्त शौचालय, चिकित्सा टीम, एम्बुलेंस तथा अग्निशमन दल हेतु संबंधित कार्यालय को पत्र द्वारा अनुरोध कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे |
19. नियोजन मेला के सफल आयोजन एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियोजन मेला स्थल पर प्रतिनियुक्त करने हेतु ससमय आदेशित करेंगे |
20. नियोजन मेला में NCS कार्यक्रम, बैंक मुद्रा योजना, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी Video Clip, Audio Clip आदि के माध्यम से प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे |
21. नियोजन मेला का विडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे |
22. नियोजन मेला में सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं नियोजकों से नियोजन मेला में सुधार से संबंधित फीडबैक प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे |
23. आई०टी०आई० तथा अन्य संस्थानों के प्राचार्य से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला के आयोजन की सूचना दी जाय ताकि वे नियोजन मेले के आयोजन की सूचना अपने सूचना पट पर प्रदर्शित कर सकें |
24. नियोजन मेला के आयोजन के संबंध में समय-समय पर निदेशालय नियोजन से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
25. मेला मे आये हुए अभ्यर्थियों को आवेदन भरने हेतु मेला परिसर में अलग से टेबल, बेंच, कुर्सी इत्यादि का समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
26. मेला में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट नियोजकों/अप्रेंटिस/दिव्यागों को नियोजित करने वाले नियोजको को विशेष रूप से नियोजन मेला में आमंत्रित करेंगे।
27. श्रम संसाधन विभाग के सभी अन्य कार्यालयों (श्रम, प्रशिक्षण, कारखाना निरीक्षक) आपस में समन्वय बनाकर नियोजन मेला का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत सूचना के साथ मेले में उपस्थित होकर इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई करेंगे। संबंधित कार्यों की सूचना

A

B

- सहायक निदेशक (नियोजन) एवं नियोजन पदाधिकारी अपने स्तर से भी विभाग के अन्य कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करेंगे।
28. नियोजन मंला का फॉलो-अप प्रतिवेदन नियोजन मंला के एक माह के अन्दर निश्चिप्त रूप से निदेशालय नियोजन को हाई एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध करायेगा। (नियोजको के द्वारा अवगत कितने अस्थापितियों का नियोजन किया गया कितने अस्थापितियों का कार्य निदेशालय से दिये गये राशि के अवधिक राशि नहीं दिया जायेगा, आवंटित राशि से ही नियोजन मंला का सकल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
29. नियोजन मंला के निर्धारित तिथि के परिवर्तन हेतु सम्बंधित कर्मचारियों के उप नियोजन मंला के निर्धारित तिथि के परिवर्तन हेतु सम्बंधित कर्मचारियों के साथ उचित कारण बताते हुए सभी पत्रों के साथ पत्र का प्रेषण निदेशालय नियोजन को एक माह पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।
30. विदेशक (नियोजन) सहायक निदेशक (नियोजन) के अर्जमादन/मंतव्य के साथ उचित विदेशक सरकार गैर विभाग (विशेष शाखा) के द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन करते हुए नियोजन मंला आयोजित स्थल पर कोविड अर्जकल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 31.